न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 69/2017 निर्णय दिनांक :–23.06.2025

उनवानी दावा :

1. मदन पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मुकेश पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. गोपाल पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. सोहन पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गुलाब बेवा दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सीताराम पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. बदरी पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. मोहन पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. दुर्गा पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. फुमा बेवा नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

2 राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर, टोंक

3 तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री अशोक कुमार गुप्ता — पेरोकार सरकार

अधिवक्ता वादीगण — प्रतिवादी संख्या 1 व 2

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के दादा व पिता नाथू पुत्र भागुता जाति भील को साबिक ख. नं. 1357/2/2 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था और मोके पर नाथू भील को हल्का पटवारी द्वारा जाकर कब्जा सम्भालाया था और नाथू भील द्वारा उक्त भूमि मे काफी पैसा लगाकर उपजाऊ बनाया था। जब तक नाथू भील जिन्दा रहा तब तक उसका कब्जा रहा उसके बाद वादीगण का कब्जा है । आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण सं. 591 के जरिये नाथू पुत्र भागुता को गैर खातेदारी से खातेदारी दे दी गई थी तथा नाथू भील के मरने के बाद नामान्तरकरण स0 603 से फौती का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम भर दिया गया था। वादी नं. 1 ता 5 के पिता व पति दयाला का देहान्त हो गया है। वादी नं0 1 ता 5 मृतक दयाला के वारिसान है । सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख. नं. 1357 के नये नम्बर ख0न0 1622 रकबा 1.06 है0, ख0न0 1641 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.42 है0, बना दिये गये और उक्त नम्बरान को वादीगण के दादा व पिता को खातेदारी मे लगा दिया गया । सेटलमेन्ट के

23.06.25

Scanned with OKEN Scanner

बाद हाल ख0न0 1622 रक्बा 1.06 है0 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश या अन्य किसी भी न्यायालय के डिक्री के आदेश के बिना वादीगण को सुनवाई का मौका दिये हुऐ उक्त भूमि को सिवायचक भूमि बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया जबकि मोके पर आज भी वादीगण का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा है। वादीगण के दादा व पिता को जो आवंटन हुआ था वह किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। उक्त आवंटन आज भी अस्तित्व में है। वादीगण के पिता व दादा को 8 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसको हेक्टयर में परिवर्तित करने के बाद 2.000 है0 भूमि वादीगण के नाम लगनी चाहिऐ थी लेकिन 0.61 है0 भूमि ही खातेदारी मे लगायी गयी है। इस तरह 1.39 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी मे कम लगायी गई है जिसमे से 1.06 है भूमि को गलत रूप से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में अकिंत कर दिया गया है। इस कारण यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का श्रीमान के समक्ष पेश है। हाल ही मे बन्थली से अन्य ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण ख0न0 1622 के नये नम्बर 1682 बना दिये गये है। प्रतिपक्षीगण आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत करते है इसलिऐ उन्हे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं, जरिये ऐजेन्ट, नोकर, चाकर के वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत नही करे। उक्त भूमि अन्य किसी को रहन, दान, बेचान आदि नहीं करे और ताफेसला वाद पाबन्द रहे । उक्त वाद मे राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधियो को पक्षकार बनाया गया है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद बिना नोटिस दिये ही वाद पेश किया जा रहा है, धारा 80(2) सीपीसी का प्रा0पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ प्रतिवादीगण के अधिनस्थ हल्का पटवारी ने वादीगण को उक्त खसरा नम्बर से बेदखल करने की धमकी दो जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्याययालय के क्षैत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह दावा अ0 धारा 88, 92–ए–,188 राज0 टि0 एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

वादीगण की अधियाचनाः–

अः–दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा खातेदारी का डिक्री किया जाकर वादीगण को हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे।

बः–दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर, चाकर, अधि. कर्मचारी के हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक की भूमि को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नहीं करे, आवंटन नहीं करे, वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करे।

23.06.25

स:–खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

द:– अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करायी जावे।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दू संख्या 1 अस्वीकार है। पत्रावली में आवंटन आदेश संलग्न नहीं है। बिन्दू संख्या 2 आंशिक स्वीकार है। पत्रावली में आवंटन आदेश व गैर खातेदारी में दर्ज होने का नामान्तकरण संलग्न नहीं है। बिन्दू संख्या 3 अस्वीकार है। वादी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार स्वयं सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है। वादी रिकॉर्ड अनुसार सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 5 अस्वीकार है। वादी रिकॉर्ड अनुसार सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 6 अस्वीकार है। वादी रिकॉर्ड अनुसार सिद्ध करे। बिन्दू संख्या 7 स्वीकार है। नकल मिलान खसरा संलग्न है। बिन्दू संख्या 8, 9, 10, 11, 12 कानूनी प्रकिया के बिन्दू है जो न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेष:– वादी राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य सबूतो के माध्यम से अपना पक्ष साबित करे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

तनकियात बिन्दू:–

1. आया वादी वाद वर्णित आराजीयात हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है? –वादी–
2. आया वादी वाद वर्णित आराजीयात हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नहीं करने, आवंटन नहीं करने व वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत, मदाखलत नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है? –वादी–
3. आया प्रतिवादी, पत्रावली पर आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज का अभाव होने व विवादित आराजी पर वादी का लगातार कब्जाकाश्त नहीं होने से वाद खारिज योग्य है? –पेरोकार सरकार–

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 सीताराम पुत्र नाथू जाति भील आयु 55 साल निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–2 बदरी पुत्र नाथू जाति भील आयु 50 साल निवासी बंथली तहसील दूनी जिला टोंक, पी. डब्ल्यू–3 बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी बंथली तहसील दूनी, पी. डब्ल्यू–3 बाबूलाल पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी बंथली तहसील दूनी, पी. डब्ल्यू–4 मोहन पुत्र नाथू जाति भील उम्र 48 वर्ष निवासी बंथली तहसील दूनी, पी. डब्ल्यू–5 मदनलाल पुत्र रामदयाल जाति .....आयु 40 साल निवासी बंथली व पी. डब्ल्यू–6 वीरू पुत्र मदनलाल जाति भील आयु 23 वर्ष निवासी बंथली तहसील दूनी तहसील दूनी के पेश किया।

23.06.25

पी. डब्ल्यू–1 ने वाद में दस्तावेज प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:–प्रदर्श–पी.–1 शपथ पत्र , प्रदर्श–पी.–2 नामान्तकरण संख्या 603, प्रदर्श–पी. –3 नामान्तरकण संख्या 591, प्रदर्श–पी.–4 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–पी.–5 जमाबन्दी सम्वत 2046, प्रदर्श–पी.–6 जमाबन्दी सम्वत 2050–53, प्रदर्श–पी–7 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–पी–8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73, प्रदर्श–पी–9 जमाबन्दी सम्वत 2020–23, प्रदर्श–पी–10 नकल पी. 14 सम्वत 2073, प्रदर्श–पी–11 जमाबन्दी सम्वत 2058–66, प्रदर्श–पी–12 नकल पी. 14 सम्वत 2075, प्रदर्श–पी–13 नकल पी. 14 सम्वत 2078, प्रदर्श–पी–14 नकल पी. 14 सम्वत 2077, प्रदर्श–पी–15 नकल पी. 14 सम्वत 2075 पेश किये है। वाद डिक्री करने की प्रार्थना की है।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1, 2, 3, 4 व 6 से जिरह की जो कलमबद्ध होकर शामिल पत्रावली है। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–5 के उपस्थित नहीं होने से जिरह नहीं हुई।

अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से साक्ष्यवादी बंद की गई।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेराकार सरकार द्वारा साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण के दादा व पिता नाथू पुत्र भागुता जाति भील को साबिक ख. नं. 1357/2/2 मे 8 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया था आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण सं. 591 के जरिये नाथू पुत्र भागुता को गैर खातेदारी से खातेदारी दे दी गई थी तथा नाथू भील के मरने के बाद नामान्तरकरण स0 603 से फौती का नामान्तरकरण उसके वारिसान के नाम भर दिया गया था। सेटलमेन्ट के दौरान साबिक ख. नं. 1357 के नये नम्बर ख0न0 1622 रकबा 1.06 है0, ख0न0 1641 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.42 है0, बना दिये गये और उक्त नम्बरान को वादीगण के दादा व पिता को खातेदारो मे लगा दिया गया । सेटलमेन्ट के बाद हाल ख0न0 1622 रकबा 1.06 है0 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के उक्त भूमि को सिवायचक भूमि बिना किसी अधिकार के दर्ज कर दिया जबकि मोके पर आज भी वादीगण का उक्त खसरा नम्बर पर कब्जा है। वादीगण के पिता व दादा को 8 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जिसको हेक्टयर में परिवर्तित करने के बाद 2.000 है0 भूमि वादीगण के नाम लगनी चाहिऐ थी लेकिन 0.61 है0 भूमि ही खातेदारी मे लगायी गयी है। हाल ही मे बन्थली से अन्य ढाणी के राजस्व गांव बन जाने के कारण ख0न0 1622 के नये नम्बर 1682 बना दिये गये है। वादी ख. नं. 1682 में से 1.06 है0 भूमि की खातेदारी अपने नाम लगवाने के लिए वाद पेश किया है। वाद वादीपक्ष डिक्री किया जावे।

23.06.25

पेरोकार सरकार ने लिखित बहस पेश की जो इस प्रकार है:– पत्रावली में संलग्न प्रदर्श 5 का अवलोकन फरमावे। प्रदर्श–5 के रूप में शामिल ग्राम बंथली की जमाबंदी संवत 2046 के खाता संख्या 158 के सम्मुख नामांतकरण संख्या 80 दिनांक 27.5.91 का नोट अंकित है । नामांतकरण संख्या 80 की प्रमाणित प्रति अनुसार वादीगणों ने खसरा नंबर 1622 रकबा 1.06 हेक्टेयर का सक्षम अधिकारी तहसीलदार के समक्ष समर्पण किया था। सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा समर्पण स्वीकार कर आदेश जारी करने पर उक्त आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 80 से ख. नं. 1622 को सिवायचक दर्ज किया गया है। ग्राम बंथली से विजयगढ़ नवीन राजस्व ग्राम बन जाने से ख. नं. 1622 के नवीन ख. नं. 1682 बन गए हैं वादीगणों द्वारा स्वयं स्वेच्छा से ग्राम बंथली के हाल ख. नं. 1682 के साबिक खसरा नंबर 1622 रकबा 1.06 हेक्टेयर का समर्पण किए जाने से न्यायालय द्वारा इन्हें किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना अपेक्षित नहीं है और न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है। । अतः वादी का वाद सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज फरमाया जावे एवं वादीगणों को समर्पण का ज्ञान होते हुए भी माननीय न्यायालय को गुमराह करने के लिए दावा पेश किया हे जिसके लिऐ शास्ति आरोपित की जावे।

तनकीवार निर्णयः–

1. **आया वादी वाद वर्णित आराजीयात हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है?** –वादी–

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए प्रदर्श–पी.–3 नामान्तकरण पंजिका ग्राम बंथली के नामान्तकरण संख्या 591 जिसके अुनसार नाथू वल्द भागूता जाति भील सा. देह गैर खातेदार के नाम साबिक ख. नं. 1357/2/2 रकबा 8 बीघा की खातेदारी दी गई।

प्रदर्श–पी.–2 नामान्तकरण पंजिका ग्राम बंथली के नामान्तकरण संख्या 603 नाथू वल्द भागूता जाति भील सा. देह खातेदार का फोती नामान्तकरण दियाला, सीताराम, बद्री, मोहन, दुर्गा व फूमा बोवा नाथू भील के नाम खातेदार के रूप में खोला गया।

प्रदर्श–पी–4 मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046 के अनुसार साबिक ख. नं. 1357 मि. से हाल ख0न0 1622 रकबा 1.06 है0, ख0न0 1641 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.42 है0,

प्रदर्श–पी–5 नाथू पुत्र भागूता कोमी मीणा ख0न0 1622 रकबा 1.06 है0, ख0न0 1641 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.42 है0 सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है और इसी प्रदर्श के अन्तिम कॉलम में नामान्तकरण संख्या 603 दिनांक 26.05.89 के अनुसार दियाला, सीताराम, बद्री मोहन, दुर्गा पुत्र फुमा बेवा नाथू के नाम स्वीकार है और बाद में

23.06.25

Scanned with OKEN Scanner

लिखा हुआ है कि दियाला के बजाय मदन, मुकेश, गोपाल, सोहन पुत्र गुलाब बेवा दयाला के नाम स्वीकार है। इन कॉलम में लिखा है कि ख. नं. 1622 रकबा 1.06 है0 को सिवायचक अंकित किया बाकी बदस्तूर।

प्रदर्श–पी–6 जमाबन्दी सम्वत 2050–53 में वादीगण के नाम ख0न0 1641 रकबा 0.01 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.42 है0 सा. देह खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–7 नक्शा ट्रेस में ख. नं. 1622 व 1707 का अंकन है और इसी नक्शा ट्रेस में अंकन है कि 1682 के 1622 पुराने नम्बर।

प्रदर्श–पी–8 जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में वादीगण की अन्य भूमि दर्शित है।

प्रदर्श–पी–9 ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रदर्श–पी–10 नकल पी. 14 ख. नं. 1682 रकबा 0.75 है0 पडत कब्जा सीताराम मोहन बद्री दुर्गा पुत्र नाथू व मदन पुत्र दयाला का काश्तकार के रूप में दर्ज है।

प्रदर्श–पी–11 जमाबन्दी ग्राम बंथली सम्वत 2058–66 में ख. नं. 1682 साबिक ख. नं. 1622 से बनना दर्शित हैं और भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 1622 का रकबा 1.06 है0 दर्शित है।

प्रदर्श–पी–12, 13, 14, 15 नकल पी. 14 सम्वत 2075, 2076, 2077, 2078 में ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 में से रकबा 0.75 है0 पर पड़त कब्जा सीताराम मोहन बद्री दुर्गा पुत्र नाथू व मदन पुत्र दयाला के नाम दर्शित है।

उक्त प्रदर्शो का विवेचन व विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आते है कि वाद वादीगण अनुसार वादीगण के दादा व पिता को साबिक ख. नं. 1357/2/2 में 8 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर कब्जा संभलाया गया था। इस आवंटन के सम्बन्ध ने वादी ने किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रदर्श 2 से 3 में नाथू पुत्र भागूता /वादीगण के नाम विवादित आराजी का नामान्तकरण व खातेदारी दर्ज है परन्तु प्रदर्श–5 में नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 27.05.91 से ख. नं. 1622 रकबा 1.06 है0 को सिवायचक अंकित किया है। पेरोकार सरकार द्वारा पेश प्रमाणित नकल नामान्तकरण संख्या 80 के कॉलम नं. 9 में सिवायचक सरकार ख. नं. 1622 रकबा 1.06 है0, कॉलम संख्या 14 में आदेश कमांक 1219 दिनांक 13.05.97 तह. देवली व कॉलम संख्या 16 में यह अंकन है कि आराजी ख. नं. 1622 रकबा 1.06 है0 के खातेदारान द्वारा इस्तीफा देने व मंजूर होने पर आदेशानुसार कब्जा लेकर नामान्तकरण भरकर पेश है, का अंकन है। इसी नामान्तकरण में यह अंकन है कि कैम्प देवली दिनांक 27.05.91 नामान्तकरण स्वीकार है, अमल हो।

उक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा ख. नं. 1622 रकबा 1.06 है0 में से इस्तीफा देकर सरकार को समर्पण किया है जिससे यह भूमि सिवायचक राजकीय भूमि हुई है और वादीगण ने पुनः इसी भूमि ख. नं.

23.06.25

1622 रकबा 1.06 है0 के हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 के लिए वाद पेश किया है, जिससे न्यायालय को गुमराह किया है। वादीगण ने स्वयं द्वारा समर्पित भूमि जो वर्तमान में सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है के लिए पुनः खातेदारी में लगाने के लिए वाद पेश किया है जो दस्तावेजात से साबित नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

2. आया वादी वाद वर्णित आराजीयात हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी को अन्य किसी को रहन, दान, बेचान नहीं करने, आवंटन नहीं करने व वादी के कब्जेकाश्त में मजामहत, मदाखलत नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अधिकारी है? –वादीगण–

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादीगण पर ही था। तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार वादीगण हाल ख. नं. 1682 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बन्थली तहसील दूनी के योग्य नहीं होने से इस तनकी का निर्णय भी विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

3. आया प्रतिवादी, पत्रावली पर आवंटन सम्बन्धी दस्तावेज का अभाव होने व विवादित आराजी पर वादी का लगातार कब्जाकाश्त नहीं होने से वाद खारिज योग्य है? –पेरोकार सरकार–

इस तनकी को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। वादीगण ने वाद के साथ ऐसे राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे यह साबित हो कि वादीगण का विवादित भूमि आवंटित हुई थी और वादीगण का आवंटन से लगातार कब्जाकाश्त रहा हो तथा तनकी नं. 1 के निर्णय अनुसार व पेरोकार सरकार द्वारा लिखित बहस के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 80 दिनांक 27.05.91 के अनुसार वादीगण ने विवादित भूमि से इस्तीफा दिया था जिससे यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज हुई है, जिसके कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य है। पेरोकार सरकार द्वारा इस तनकी को बखूबी साबित करने के कारण इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण किया जाता है।

आदेश

तनकीवार विवेचन, विश्लेषण से आवंटन सम्बन्धी दस्तावेजात पेश नहीं करने, विवादित भूमि पर लगातार कब्जा साबित नहीं करने के कारण, विवादित आराजी से वादीगण द्वारा इस्तीफा देकर, इस्तीफा मंजूर होने पर भूमि सिवायचक हुई है, जिसमें पुनः खातेदारी देने का क्षैत्राधिकार नहीं होने व वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली तरतीब तकमील होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 23.06.2025 को में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...

..मुकाम देवली व अलजाम श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक.............

उनवानी दावा :

1. मदन पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मुकेश पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. गोपाल पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. सोहन पुत्र दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. गुलाब बेवा दयाला जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. सीताराम पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. बदरी पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. मोहन पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
9. दुर्गा पुत्र नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0
10. फुमा बेवा नाथू जाति भील निवासी बन्थली तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. राज्य सरकार, जरिये जिला कलेक्टर, टोंक
2. तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण—

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधांज्ञा

मुकदमा नं. 69 सन् 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वादीगण द्वारा आवंटन सम्बन्धी दस्तावेजात पेश नहीं करने, विवादित भूमि पर लगातार कब्जा साबित नहीं करने के कारण, विवादित आराजी से वादीगण द्वारा इस्तीफा देकर, इस्तीफा मंजूर होने पर भूमि सिवायचक हुई है, जिसमें पुनः खातेदारी देने का क्षैत्राधिकार नहीं होने व वाद खारिज किया जाता है।

निजी..मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

Scanned with OKEN Scanner

69/2017 उनवान मदन बनाम राजस्थान राज्य, जरिये जिला कलेक्टर टोंक
:–23.06.2025

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए

Scanned with OKEN Scanner